कार्यालय जनपद न्यायाधीश, झांसी।

विज्ञप्ति- न्यायिक अधिष्ठान झाँसी के दीवानी न्यायालय परिसर स्थित 01 प्राचीन निष्प्रयोज्य भवन को ध्वस्त करवाकर उसके मलबे की नीलामी हेतु

नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, झाँसी की आख्या दिनांकित 20.12.2024 पर पारित माननीय जनपद न्यायाधीश झाँसी महोदय के आदेश दिनांकित 23.12.2024 के अनुपालन में **न्यायिक अधिष्ठान झाँसी के दीवानी न्यायालय परिसर स्थित 01 प्राचीन निष्प्रयोज्य भवन को ध्वस्त करवाकर उसके मलबे** की नीलामी, लोक निर्माण विभाग, झाँसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों के अनुसार करवाकर उसको निस्तारित करवाया जाना है। **उक्त नीलामी दिनांक 21.01.2025 को समय सायं 4.30 बजे समिति के सदस्यों के समक्ष अध्यक्ष, नीलामी समिति/ विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), झांसी के विश्राम कक्ष में सम्पन्न होगी।**

इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाज़िर, जनपद न्यायालय, झांसी से संपर्क कर न्यायिक अधिष्ठान झाँसी के दीवानी न्यायालय परिसर स्थित 01 प्राचीन निष्प्रयोज्य भवन का निरीक्षण कर उसकी नीलामी किये जाने हेतु बोली लगाकर लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक बोलीकर्ता द्वारा नीलामी हेतु बोली लगाने के पूर्व **धरोहर राशि के रूप में रू0 20,000/- (रू0 बीस हजार मात्र)** की धनराशि रोकड़िया, जनपद न्यायालय, झांसी के पास जमा करानी होगी। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति की धरोहर राशि को छोड़कर शेष बोलीकर्ताओं की धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के उपरान्त तुरंत वापस कर दी जायेगी। नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि को छोड़ते हुए नीलामी राशि की अवशेष धनराशि अगले कार्यदिवस तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, झांसी में निश्चयात्मक रूप से जमा करानी होगी। नीलामी के बाबत अनुबन्धपत्र निर्धारित 10/- के स्टाम्प पर निष्पादित कराना होगा कि-

(क) बोली बोलने वाले व्यक्ति बकायादर एवं काली सूची के अन्तर्गत न आता हो।

(ख) बोली बोलने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही लम्बित हो। इस तथ्य का शपथपत्र प्रत्येक बोलीकर्ता को बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री को ले जाने का खर्च स्वयं वहन करना होगा।

(घ) बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जानपद न्यायाधीश, झांसी को सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त नीलामी की सूचना तद्नुसार जनपद न्यायालय, झांसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करवाई जाये एवं समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाई जाये।

दिनांक:

प्रभारी अधिकारी, नज़ारत,
झांसी।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनापट पर चस्पा करने एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित-

1. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), झांसी को उक्त वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी, झाँसी को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाए जाने हेतु।
3. केन्द्रीय नाज़िर, जनपद न्यायालय, झाँसी को जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
   अ. कार्यालय, जिलाधिकारी, झांसी।
   ब. कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
   स. कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, झांसी।
   द. कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी, झांसी।
   य. कार्यालय, मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी।
   र. सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति चस्पा कराने हेतु।

प्रभारी अधिकारी, नज़ारत,
झांसी।